

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक - वि.प्रा.(1)छात्र-04/06

3164

/पटना, दिनांक- 19-11-09

प्रेषक,

डॉ० अनन्त कुमार,
सहायक निदेशक(त०)।


सेवा में,

प्राचार्य/विशेष कार्य पदाधिकारी,
सभी अभियंत्रण महाविद्यालय,
बिहार।

विषय : अभियंत्रण डिग्री पाठ्यक्रमों के छात्रों का शाखा परिवर्तन के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में पूर्व में निर्गत पत्र संख्या - वि.प्रा.111-छात्र-02
/2002 -174 दिनांक 11.02.03 की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। कृपया उपरोक्त पत्र
में दिये गये दिशा-निदेश के आलोक में शाखा परिवर्तन की कार्रवाई की जाय।
अनु० - यथोपरि।

विश्वासमाजन


सहायक निदेशक(त०),
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पत्र सं० एव0970/111/डात्र-02/2002 174 पटना, दिनांक 11-2-2003

श्रेष्ठ,

श्री श्रीराम पाण्डेय, भा0970से0,
उपयुक्त सीधव ।

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी अभियंत्रण महाविद्यालय ।

विषय:- अभियंत्रण डिग्री पाठ्यक्रमों के छात्रों का छात्रा परिवर्तन के संबंध में ।
सहाय्य,

उपयुक्त विषय के संदर्भ में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई-
दिल्ली के पत्र दिनांक 12-9-2001 से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में निदेशानुसार
कहना है कि इस संबंध में राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के निम्नलिखित निर्णय
किया है:-

- 1- महाविद्यालय स्तर पर छात्रा परिवर्तन महाविद्यालय के निदेशक/प्राचार्य द्वारा किया जायेगा ।
- 2- द्वितीय वर्ष ३ तृतीय सेमेस्टर ३ में छात्रा परिवर्तन की सुविधा त्रि-वर्ष सेवा की छात्रों को प्राप्त होगी तथा इसे अधिकार के रूप में नहीं माना जायेगा ।
- 3- ये दिशा निर्देश देश के सभी संस्थानों पर लागू होंगे जहाँ अभियंत्रण पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जा रही हो ।
ये दिशा निर्देश विभागीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के विभाग, क्षेत्रीय अभियंत्रण महाविद्यालय, स्वायत्त संस्थान, वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान तथा गैर वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होंगे ।
- 4- छात्रा परिवर्तन त्रि-वर्ष तृतीय सेमेस्टर ३ द्वितीय वर्ष ३ में ही मान्य होगा ।
- 5- छात्रा परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रवेश क्षमता रही होगी जो अभातीशप द्वारा पूर्व के शैक्षिक सत्र के निर्धारित थी । छात्रा परिवर्तन के उपरान्त अगर अभातीशप द्वारा प्रवेश क्षमता के परिवर्तन किया जाता है तो इसका प्रवेश क्षमता जैसे छात्रों पर नहीं पड़ेगा, जिनका छात्रा परिवर्तन पूर्व के निर्धारित प्रवेश क्षमता पर कर दिया गया है ।
- 6- छात्रा परिवर्तन सभी संभव हो सकेगा जब इसके फलस्वरूप निर्धारित प्रवेश क्षमता के 75% के नीचे न हो ।

2- रिक्त होने पर ही छात्रा परिवर्तन किया जा सकेगा। रिक्त की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा किया जायेगा :-

अगर, V = Vacancy

I = The Prescribed Intake for the branch.

Reg = No. of regular students who become eligible to be promoted to IIIrd Semester.

Rep = No. of students from previous batches who become eligible to join IIIrd Semester (along with regular students).

अगर, Reg + Rep > I हो तो छात्रा परिवर्तन संभव नहीं होगा।

8- छात्रा परिवर्तन पेशा के आधार पर किया जायेगा तथा इसका दृढ़ता से पालन किया जायेगा।

पेशा सूची प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों/छात्रों के परीक्षाफल से प्राप्त हुए छात्रों के आधार पर तैयार की जायेगी तथा जो छात्र अभी विद्यार्थी से उत्तीर्ण होये उन्हें ही छात्रा परिवर्तन के योग्य समझा जायेगा।

9- प्रथम वर्ष के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षाफल के प्रकाशन के दस दिनों के अन्दर छात्रा परिवर्तन का कार्य सम्पन्न हो जाना चाहिए।

10- जिन छात्रों का छात्रा परिवर्तन किया जायेगा उनकी संबंधित सूची निदेशक विद्यार्थी/छात्रा सुश्रवा समीक्षक विद्यार्थी/छात्रा को भेजी जाये।

11- किसी छात्रा में प्रवेश उमता से अधिक प्रवेश लेने वाले महाविद्यालय को लायबिलिटी बनाने से रोका रहेगा, जबतक कोई दस्तावेज प्रीक्षा न अपनाई गई यथा अभात-पत्र द्वारा किसी छात्रा में प्रवेश कराया नहीं हो।

12- राज्य/विद्यार्थी/छात्रा इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इन पेशा निर्देशों का उल्लंघन करने या प्रवेश उमता से अधिक प्रवेश लेने वाले महाविद्यालयों की सुचना अनासन्निक को दी जायेगी।

13- महाविद्यालय/छात्रा किसी महाविद्यालय के पात्र नहीं होंगे, अगर छात्रा परिवर्तन से संबंधित उपरिष्ठित विद्या-निदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं किया जाता है।

14- इस संबंध में पूर्व में निर्गत पत्रों/परपत्रों/निधमावली को अज्ञात-समझा जाय।

15- यह निधमावली पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी बानी जायेगी।

अतः आपको अनुरोध है कि छात्रा परिवर्तन के संबंध में आवश्यक सभी कार्य निधमावली के अनुसार ही कार्रवाई की जाये।

विद्यार्थी/छात्रा,
संयुक्त आयोग

आंक

174

पटना, दिनांक 11.2.2003

प्रतिपात्र:- कुल आयोग सभी विद्यार्थी/छात्रा/परीक्षा निदेशक, विद्यार्थी/छात्रा

संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा वर्षद, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयोग

अ

20/2/03